

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::


जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक बारां के आदेश दिनांक 08.09.2016 के द्वारा श्रीमती वृन्दा भारती, व.अ. राउमावि बम्बूलिया कलां, अंता - बारां, के विरुद्ध विचाराधीन राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 17 की कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के फलस्वरूप एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय- हिन्दी की रिक्तियों के विरुद्ध चयन आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था/सी-ओए/डीपीसी/चयन आदेश/2016-17 दि 23.07.21 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी (शिड्यूल I) की वर्ष 2016-17 की रिक्ति के प्रति चयन किये जाने पर उक्त कार्मिक को पे-बेण्ड 9300-34800 पीबी.-2 ग्रेड पे 4800 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है-

क्रसं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम अभ्यर्थी मय पदस्थापन	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	1285	2002-03	श्रीमती वृन्दा भारती, व.अ. राउमावि बम्बूलिया कलां, अंता - बारां	07-12-1970	सामान्य	2016-17	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDIFALI (216612). LADPURA (08300302702) (LADPURA) KOTA

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उराके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com से तत्काल सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति स्थान पर अविलम्ब रूप से कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा पदोन्नति का परित्याग माना जावेगा।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति स्थान पर दिनांक 11/8/21 तक कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा पदोन्नति का परित्याग माना जावेगा।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक - 27/07/2021

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/डीपीसी-पदस्थापन/2016-17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही जावत्

- शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
- समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक)
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
- संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान
- सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर